न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 158/2019
GCMS NO. : 2019/00244

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति भांबी (मेघवाल) निवासी– ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण जिला– पाली।		1. पानी देवी पत्नी भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी बलून्दा। 2. उकड़ाराम पुत्र सालगराम जाति खटीक निवासीगण बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–24.10.2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र कुमार गुंरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रूस्तम खान भाटी, श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 17/08/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आनन्दपुर कालू में निम्न विवरण की कृषि भूमि खाता संख्या 893 खसरा संख्या 1471 रकबा 07–07 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। जिस पर सायल व उसकी माता गैरसायलान संख्या 01 पानी देवी का कुल भूमि में बराबर बराबर हिस्सा यानि 1/2–1/2 हिस्सा आता है। जिसमें सायल व गैरसायल संख्या 01 पानी का अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त होकर कातीसरा की फसल बोते है व लेते है। वादग्रस्त कृषि भूमि 07–07 बीघा सायल के दादा गणेशराम के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही फिर गणेशराम के निधन के पश्चात सायल के पिता भंवरलाल के नाम दर्ज हुई और भंवरलाल के निधन के बाद सायल व गैरसायल पानी देवी के नाम उक्त भूमि दर्ज राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई इस प्रकार यह कानूनी तौर पर स्पष्ट है कि सायल रामलाल को उसके जन्म के साथ ही उसके दादा गणेशराम की कृषि भूमि में हक अधिकार प्राप्त हो गये है। सायल का अपनी माता गैरसायला पानी देवी के साथ अच्छा संबंध नही होने से वह जब तक सायल को व उसके परिवारजनो को तंग परेशान करती रही है। सायल जोधपुर से दिल्ली व दिल्ली से जोधपुर मिनि ट्रेवल की बस चलाता है। इसलिए वह अधिकांश बाहर ही रहता है। दिनांक 11.10.2019 को गैरसायला पानी देवी ने सायल को धमकी दी की वह अपने नाम की कृषि भूमि बेचान कर देगी और अच्छी कीमत प्राप्त कर लेगी सायल ने ऐसा करने से मना किया तो गैरसायला ने स्पष्ट इंकार कर दिया। दिनांक 18.10.2019 को सायल अपने गांव आया तब उसे यह जानकारी मिली की उसकी मां गैरसायला पानी देवी ने कृषि भूमि का बैचान कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

दिया है तथा वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से कानूनी बंटवाड़ा नही होने से पानी देवी ने अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि गैरसायल उकड़ाराम खटीक को अवैध व गलत रूप से कृषि भूमि का बैचान कर दी तथा गैरसायल उकड़ाराम के पक्ष में बैचान दस्तावेज का पंजीयन करवा दिया। गैरसायल उकड़ाराम को बैचान किए भूमि के दस्तावेज को रद्ध व निरस्त कराने के लिए अलग से सक्षम दिवानी न्यायालय में कार्यवाही पेश की जायेगी। मौके पर गैरसायल उकड़ाराम का कोई कब्जा काश्त नही है। बैचान दस्तावेज की आड़ में अगर गैरसायल उकड़ाराम ने अपने नाम म्युटेशन दर्ज कराकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया तो कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न होकर सायल को अपनी कृषि भूमि के अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा तथा उसे व उसके परिवार को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। तथ्यो परिस्थितियो दस्तावेजात व मोके पर लगातार कब्जा काश्त की रूह से सायल का बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टया मामलां प्रमाणित है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रत्येक सुरत में सायल के पक्ष में है। गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक हमेशा के वास्ते रोका जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा संख्या 1471 रकबा 07-07 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि पर सायल एवं गैरसायल संख्या 1 का 1/2-1/2 हिस्सा होने का कथन सही होने से स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि सायल के दादा गणेशराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही फिर गणेशराम के निधन के पश्चात सायल के पिता भंवरलाल के नाम दर्ज और भंवरलाल के निधन के पश्चात सायल और गैरसायल पानी देवी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का कथन सही होने से स्वीकार है। सायल अपनी माता पानी देवी के साथ अच्छा संबंध नही होने से सायल व उसके परिवारजनो को तंग परेशान करती रही व गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 18.10.2019 को सायल अपने गांव आया तब उसे जानकारी मिली कि उसकी मां पानीदेवी ने अपने हिस्से की भूमि का बैचान कर दिया जिसका जवाब है कि गैरसायल पानी देवी ने खसरा संख्या 1471 की 07-07 बीघा कृषि भूमि में से अपनी 1/2 हिस्से की कृषि भूमि सीता देवी पत्नी उकड़ाराम जाति खटीक, नाथुराम पुत्र उकड़ाराम जाति खटीक, सावरराम पुत्र उकड़ाराम जाति खटीक, निवासीगण- बलून्दा को जरिए रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज से बैचान की। पानी देवी ने अपनी कब्जाशुदा हिस्से की जमीन को बैचान कर नाथुराम, सावरराम व सीतादेवी को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। पानी देवी ने अपने 1/2 हिस्से की जमीन का जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज से बैचान किया जिस पर खरीदकर्ता बिना किसी रोक टोक शांतिपूण तरीके से काश्त करते आ रहे है। खरीदकर्ताओ के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। लेकिन सायल ने जानबूझकर पक्षकार नही बनाया। सायल ने केवल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आशय से उकड़ाराम को पक्षकार को बनाया गया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

क्योकि खातेदार काश्तकारी अधिनियम की धारा 181 के तहत खातेदार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जाता। इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। सायल, गैरसायल के विरूद्ध किसी भी रूप में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। सायल का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 पानी देवी जो प्रार्थी की माता है, की 1/2-1/2 हिस्सा की भूमि है जो प्रार्थी के दादा गणेशराम के नाम की थी, जिनके निधन के बाद पिता भंवरलाल के नाम दर्ज हुई तथा भंवरलाल के निधन के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक पानीदेवी के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थीया पानी देवी उक्त भूमि को बैचने पर अमादा है जिसका कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। इसके बावजूद अप्रार्थीया पानीदेवी ने अप्रार्थी संख्या दो उकड़ाराम को जरिये पंजीकृत बैचान अपना हिस्सा बैचान कर दिया। अतः प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र का खण्डन करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी के पिता भंवरलाल के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीया पानीदेवी के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या एक पानीदेवी ने खसरा नम्बर 1471 में से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि सीता देवी पत्नी उकड़ाराम, नाथूराम व सांवरराम पुत्र उकड़ाराम को जरिये पंजीबद्ध बैचान से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं क्रेताओं का नाम भू अभिलेख में नाम दर्ज कर दिया गया है। जिन्हे प्रार्थी ने बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया है। अतः प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है।

उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के प्रार्थनापत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय किया जा चुका है तथा क्रेतागण का नाम भू अभिलेख में दर्ज हो चुका है, जिन्हें प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थनापत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही होता है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीया संख्या एक पानीदेवी द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी को विक्रय किया गया तथा क्रेतागण का नाम भू अभिलेख में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी वादग्रस्त अविभाजित आराजी का सहखातेदार है लेकिन सहखातेदारान को पक्षकारान के रूप में संयोजित नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

है। प्रार्थी यह भी साबित करनें में असफल रहा है कि केवल प्रार्थी के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन निहित होना कैसे माना जा सकता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किए जाने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारो के उपभोग से कैसे वंचित होना पड़ सकता है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना कैसे संभव है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested